फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

रामचन्द्र उर्फ चन्दूराम बनाम् सरकार

प्रकरण अन्तर्गत धारा–136 एल.आर. एक्ट (दुरूस्ती)

करण सं.–03/2022 जी.एस.एम.एस. नं.–2022/53

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/ दिनांक
13/22	आज यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के द्वारा कैम्प कोर्ट नाहरॉवाली में प्राप्त प्रार्थना पत्र बाबत नाम में दुरूस्ती में तहसीलदार, अनूपगढ से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ जमाबंदी चक लूणियॉ बारानी खसरा नं.–108/2 का 7.590 हैक्टर अनकमाण्ड व चक 4 एन.एम. खाता सं.–68 के 16.825 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला रकबा में 2.103 हैक्टर कुल 9.693 हैक्टर रकबा रामचन्द्र पुत्र तुलछाराम जाति जाट के नाम दर्ज है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड व पूछताछ के अनुसार चक लूणियॉ बारानी का रकबा प्रार्थी को आवंटन है तथा चक 4 एन.एम. का रकबा विरासत में प्राप्त है। पूछताछ व ग्राम पंचायत 20 एल.एम. (लूणियॉ) व 11/12 एन. डी.(नाहरॉवाली) के निवास व पहचान प्रमाण पत्र अनुसार रामचन्द्र व चन्दूराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है तथा उक्त रकबा पर वर्तमान में चंदूराम/तुलछाराम जाति जाट की काश्त की है पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं प्रार्थी के शपथ–पत्र के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामचन्द्र के स्थान पर **रामचन्द्र उर्फ चन्दूराम** दुरूस्त किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त दुरूस्ती का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद करें। निर्णय आज दिनांक 16/03/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (प्रियंका तलानिया) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ	

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talan
Date: 2022.03.23 13:22:48 IST
Reason: SelfAttested